बीकानेर के देशनोक में पीएम आवास योजना में 2.83 करोड़ का घोटाला सामने आया

आरोप है कि पालिका के एक कर्मचारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खातों में रुपए देने के बजाय रिश्तेदारों के खातों में रुपए जमा करवा दिए

बीकानेर, (निसं)। यहां देशनोक नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े भुगतान में करीब 2.83 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि पालिका के एक कर्मचारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खातों में रुपए देने के बजाय रिश्तेदारों के खातों में रुपए जमा करवा दिए। इसमें 49 बिलों में हेराफेरी की सूचना है। आरोपी लाभार्थी का नाम लिखकर अकाउंट नंबर अपने परिजनों को दे देता था।

नगर पालिका की ओर से 5 अक्टूबर 2026 को अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को पत्र दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में कार्यरत कर्मचारी सुरेंद्र सिंह टिंडल ने सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए ये राशि अपने परिचितों के खाते में ट्रांसफर करवा

- **नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एसपी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत, जांच रिपोर्ट और एफआईआर के लिए पत्र सौंपा**

ली। पत्र में बताया गया है कि संबंधित कर्मचारी के कार्यकाल से जुड़े भुगतान की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। नगर पालिका की जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिशासी अधिकारी ने बुधवार को बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा से मुलाकात कर शिकायत पत्र, जांच रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र सौंपा। एसपी ने मामले में संबंधित थानाधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति ने नवंबर 2025 से जून 2026 तक के बिलों की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार कुल 49 बिलों का निरीक्षण किया गया। इनमें भुगतान की कुल राशि 8.65 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार करीब 4.91 करोड़ रुपए जमा किए गए और 2.83 करोड़ रुपए की राशि शेष पाई गई। नगर पालिका ने जांच के आधार पर उक्त राशि के गबन का आरोप लगाया है।

नगर पालिका के पत्र में आरोप लगाया गया है कि संबंधित कर्मचारी ने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की और राजकीय राशि से संबंधित रिकॉर्ड एवं भुगतान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं कीं। विभागीय जांच में कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया था, लेकिन पत्र के अनुसार वह जांच समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और संबंधित रिकॉर्ड जमा नहीं करवाए। निदेशक को भेजे पत्र में अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने लिखा है कि कार्मिक सुरेंद्र सिंह ने नगर पालिका देशनोक में प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में कार्यरत रहते हुए गलत लाभार्थियों के खाते में 84 लाख रुपए जमा करा दिए गए। ये राशि नोटिस देने के बाद जमा करवाई गई। गड़बड़ी की भनक लगने पर पालिका ने टिंडल की ओर से किए गए सभी भुगतान की जांच की तो 2 करोड़ 83 लाख रुपए का भुगतान अवैध लाभार्थियों के खाते में करने का मामला उजागर हुआ। इसमें 84 लाख रुपए जमा करवा दिए गए। फिर भी एक करोड़ 99 लाख 80 हजार रुपए की वसूली बनती है।

अधिशासी अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि टिंडल को 23 सितम्बर को ही सस्पेंड कर दिया गया है। ये राशि कैसे जमा हुई इस सवाल पर सिंह ने बताया कि संबंधित बिल पर वो सही लाभार्थी का नाम लिखता था और अंदर एकाउंट नंबर अपने परिचित व परिजन के लिख देता था। ऐसे में अधिकारी लाभार्थी का नाम देखकर स्वीकृति दे देते थे। ये राशि गलत खातों में जमा हो जाती थी। ये राशि पत्नी, साले और रिश्तेदारों के खातों में भी जमा करवाई गई थी।

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बुधवार को एसपी मृदुल कच्छावा से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत, जांच रिपोर्ट और एफआईआर के लिए पत्र सौंपा। इसके बाद एसपी ने संबंधित थानाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी के अनुसार, संबंधित कर्मचारी सरकारी सेवा में है, इसलिए पुलिस स्तर पर जांच के बाद उसके खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।

हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में आग लगी, चार करोड़ का सामान जला

बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई

तारानगर, (निसं)। शहर से लगभग चार किमी दूर सरदारशहर सड़क मार्ग पर स्थित श्री हरि आयरन उद्योग हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में बुधवार की सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्टरी को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्टरी में रखा हैंडीक्राफ्ट का करोड़ों रुपए का तैयार व कच्चा माल सहित मशीनरी पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं आग की तपिश से पूरी बिल्डिंग भी पूर्णतया नष्ट हो गई।

- **आग से फैक्टरी में रखा हैंडीक्राफ्ट का करोड़ों रुपए का तैयार व कच्चा माल सहित मशीनरी पूरी तरह जल गई**

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह अचानक फैक्टरी से धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। प्रशासन ने लोगों के साथ मिलकर दमकल के सहयोग से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्टरी में तैनात कर्मचारी ने मालिक को सूचना दी। श्री हरि आयरन उद्योग के मालिक विनोद जांगिड़ ने बताया कि फैक्टरी में हर रोज सुबह 8 बजे के कार्य शुरू होता है। सुबह 7 बजे के लगभग बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका हैं। फैक्टरी में तैनात कर्मचारी ने धुआं उठता देखा तो अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बढ़ने पर उसने फोन पर घटना की सूचना दी। जिस पर मालिक तत्काल मौके पर पहुंचे और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर नगरपालिका की ओर दमकल पहुंची लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के आधा दर्जन शहरों से भी दमकल मंगवाई गई।

हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में आग की सूचना पर तारानगर नगरपालिका से दमकल पहुंची। लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सरदारशहर, राजगढ़, रतनगढ़,चूरू, नोहर व भादरा से भी दमकलें मंगाई गई। जिसके बाद लोगों के सहयोग से 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मालिक विनोद जांगिड़ ने बताया कि दीपावली के लिए देश विदेश के शहरों में भेजने के लिए तैयार बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सहित लगभग ढाई करोड़ रुपए का फर्नीचर एवं कंप्यूटर, कागजात व मशीनरी के जलने से लगभग 4 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। फैक्टरी में आग की सूचना मिलने पर एसडीएम प्रियंका कड़ेला, डीएसपी रोहित सांखला, एसएचओ पुष्पेंद्र सिंह, ईओ अजयप्रतापसिंह, चेयरमैन हरि इंदौरिया व भाजपा नेता राकेश जांगिड़ सहित मौके पर पहुंचे और घटना से हुए नुकसान व बचाव कार्य का जायजा लिया।

अजमेर जेल से दो महिला कैदियों को बाहर ले जाने के मामले में निलंबित जेलर गिरफ्तार

अजमेर, (निसं)। अजमेर के केंद्रीय कारागृह स्थित महिला जेल से दो महिला कैदियों को जेल विभाग को बिना सूचना दिए बाहर ले जाने के मामले में पुलिस ने निलंबित जेलर दिव्या चौधरी को कोटा से गिरफ्तार किया है। मामले में जेलर दिव्या चौधरी के साथ महिला जेल प्रहरी सोनिया की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस अब फरार चल रही जेल प्रहरी की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, जेल प्रशासन की अनुमति और विभागीय सूचना के

- **दोनों महिला कैदियों को जेलर दिव्या चौधरी के कोटा स्थित मकान पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था**

बिना दोनों महिला कैदियों को जेल से बाहर ले जाने का मामला सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर जांच की गई थी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि दोनों महिला कैदियों को जेलर दिव्या चौधरी के कोटा स्थित मकान पर साफ-सफाई के काम के लिए ले जाया गया था। मामला सामने आने के बाद जेलर को निलंबित कर दिया गया था।

सीईओ शिवम जोशी ने बताया कि निलंबित जेलर दिव्या चौधरी को पुलिस ने कोटा स्थित उनके मकान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की पूछताछ और जांच की जा रही है। वहीं, इस प्रकरण में शामिल बताई जा रही जेल प्रहरी सोनिया अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों महिला कैदियों को किस प्रक्रिया के तहत जेल से बाहर ले जाया गया और इस दौरान किन नियमों की अनदेखी की गई। मामले में अन्य किसी की भूमिका सामने आने पर उसके आधार पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

दुष्कर्म के तीन आरोपी गिरफ्तार

भरतपुर, (निसं)। वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण कन्हैयालाल मय गठित टीम ने थाना चिकसाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एसपी राजेश मीना ने बताया कि थाना चिकसाना में मंलवार को एक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि शैलशसिंह उर्फ शैलू, पवन कुमार व रवि 3-4 जनों द्वारा विरूद्ध प्रार्थी की नाबालिग भतीजी के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने का एक मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया था।

दिवाली के बाद हो सकते हैं अर्धवार्षिक एग्जाम

- **शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजा**
- **पंचायत राज चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ रहा है**

बीकानेर, (निसं)। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में हाफ इयरली एग्जाम अब दीपावली के बाद हो सकते हैं। 12वीं तक सभी परीक्षाएं 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होनी थीं, लेकिन पंचायत राज चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग को परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ रहा है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी हो सकते हैं। समान परीक्षा (कक्षा 9 से 12) के तहत प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में हाफ इयरली एग्जाम होने हैं। इसके लिए पेपर भी शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय की ओर से तैयार किए जाते हैं। 15 अक्टूबर से परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि 20 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल चुनावी टीम को मतगणना के लिए सौंपने होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में टीचर्स की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लग रही है। ऐसे में 15 से 19 अक्टूबर के बीच भी शिक्षा विभाग परीक्षा नहीं करा सकता। इसलिए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के अलावा विभाग के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है।

जानकारी के अनुसार शिक्षा विभागीय परीक्षा कार्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया है। इसमें दीपावली के बाद हाफ इयरली एग्जाम कराने के लिए कहा गया है। पंचायत राज चुनाव भी दीपावली के बाद तक प्रदेशभर में चलते रहेंगे। ऐसे में हाफ इयरली एग्जाम नवंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने की संभावना है। शहरी क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण यहां के स्कूलों में हाफ इयरली एग्जाम कराने में परेशानी नहीं है। खासकर प्राइवेट स्कूलों के किसी टीचर की ड्यूटी भी हाफ इयरली एग्जाम में नहीं लगती। बोर्ड क्लासेज को छोड़कर बाकी कक्षाओं के एग्जाम कई प्राइवेट स्कूल 15 अक्टूबर से ही शुरू कर रहे हैं। हालांकि यह फैसला स्कूल अपने स्तर पर ले रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूलों को इस तरह की कोई छूट नहीं दी गई है।

श्रीगंगानगर में घर से 500 ग्राम आइस ड्रग्स बरामद

रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी ने घर में आइस ड्रग छिपाकर रखने की जानकारी दी

श्रीगंगानगर, (निसं)। पुलिस ने नशे और हथियार तस्करी के नेटवर्क से जुड़े 22 साल के युवक गुरविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से पुलिस ने 500 ग्राम मेथामफेटामाइन (आइस) बरामद की है। इससे पहले गुरविंद्र को 32 बोर पिस्टल और 47 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी फिलहाल 8 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर है।

मीरा चौक चौकी प्रभारी नरेश कुमार ने सीआईडी और डीएसटी के सहयोग से यह कार्रवाई की। रिमांड के दौरान पूछताछ में गुरविंद्र ने घर में आइस ड्रग छिपाकर रखने की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 500 ग्राम ड्रग बरामद की। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जवाहरनगर थाना प्रभारी दिनेश सारण कर रहे हैं। जांच अधिकारी नरेश कुमार के अनुसार, चक महाराजका निवासी सहजप्रीत सिंह और परमिंद्र सिंह जुलाई 2023 में यूके चले गए थे। दोनों दानीरामवाला निवासी सोनू कुम्हार की हत्या और शव नष्ट करने के मामले में

- **पूछताछ में गुरविंद्र ने दावा किया कि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने अब तक 6 क्विंटल से अधिक अफीम,15 किलो से ज्यादा आइस ड्रग, 12 पिस्टल और करीब 100 कारतूस की तस्करी की है**

चूनावढ़ पुलिस के वांछित आरोपी हैं। पुलिस पूछताछ में गुरविंद्र ने बताया कि यूके में बैठे सहजप्रीत और परमिंद्र ड्रग व हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस के अनुसार, इनके जरिए भेजे गए नशे और हथियार गुरविंद्र सहित कुछ अन्य युवकों के माध्यम से आगे बेचे जाने की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में गुरविंद्र ने दावा किया कि नेटवर्क से जुड़े लोगों ने अब तक 6 क्विंटल से अधिक अफीम,15 किलो से ज्यादा आइस ड्रग, 12 पिस्टल और करीब 100 कारतूस की तस्करी की है। पुलिस को आशंका है कि ड्रग और हथियार पाकिस्तानी हैंडलर्स की मदद से ड्रोन के जरिए सीमा क्षेत्र में गिराए जाते थे। इसके बाद स्थानीय नेटवर्क के माध्यम से इन्हें आगे पहुंचाया जाता था। पुलिस इन दावों की जांच कर रही है।

पुलिस को गुरविंद्र के कब्जे से पंजाब के 60 से ज्यादा बैंक खातों की पासबुक मिलने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, इन खातों में करोड़ों रुपये की ट्रांजेक्शन का पता चला है। आशंका है कि ड्रग और हथियारों से जुड़े पैसों को इन खातों के जरिए इधर-उधर किया जाता था। पुलिस ने संबंधित बैंकों से खातों की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मांगी है। जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये खाते किन लोगों के नाम पर हैं और इनके संचालन में गुरविंद्र की क्या भूमिका थी। जांच में गुरविंद्र के एक युवती से संबंध होने की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार, युवती के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोप है कि परिवार को डराने के लिए उनके घर पर फायरिंग करवाई गई थी। इस मामले में भी पुलिस गुरविंद्र की भूमिका की जांच कर रही है।

बाल वाहिनी से कुचलकर छात्रा की मौत

हनुमानगढ़, (निसं)। हनुमानगढ़ के कोहला में मंगलवार को एक निजी स्कूल की बाल वाहिनी से कुचलकर पांच साल की छात्रा दीपिका की मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने निजी स्कूलों और बाल वाहिनियों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

जानकारी के अनुसार दीपिका राजकीय स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल की बस की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल बस तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। बस के टायर तले कुचलने से दीपिका की मौत हुई। ग्रामीणों के अनुसार घटना के समय बस में हेल्पर भी मौजूद नहीं था। घटना के अगले दिन बुधवार को कोहला के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिले के सभी निजी स्कूलों और बाल वाहिनियों में सुरक्षा मानकों की जांच कराने तथा सामने आने वाली कमियों को दूर करने की मांग की। ग्रामीणों ने मांग की कि सभी बाल वाहिनियों में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इनमें सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य जरूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

सिंघाना के गुजरवास गांव के पास खेतों में लगी आग से फसल जली

सिंघाना, (निसं)। सिंघाना क्षेत्र के गुजरवास गांव के पास बुधवार दोपहर खेतों में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। तेज हवा के बीच आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और खेतों में काटकर रखी बाजरे व ग्वार की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग तेजी से फैलने के कारण किसानों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी व अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। हालांकि, तेज हवा के कारण आग लगातार एक खेत से दूसरे खेत की ओर फैलती रही। आग की लपटों ने खेतों में काटकर रखी फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत देखते ही देखते राख में बदल गई। घटना की सूचना मिलने पर केसीसी प्रोजेक्ट और खेतड़ी नगरपालिका की दमकलें मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मचारियों ने कई स्थानों पर फैल चुकी आग पर पानी का लगातार छिड़काव कर आग बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीण भी दमकलकर्मियों के साथ आग बुझाने में जुटे रहे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि, तब तक खेतों में काटकर रखी बाजरे और ग्वार की बड़ी मात्रा में फसल जलकर राख हो चुकी थी। किसानों के अनुसार आगजनी में लाखों रूपए की फसल का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।

मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी थाना क्षेत्र के पपूरना गांव स्थित माता शाकंभरी मंदिर के पास की जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी सुनील चौहान को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। शाकंभरी माता मंदिर समिति के महीपाल सिंह निर्वाण ने बताया कि मंदिर के पास स्थित जमीन पर शैलेंद्र मेहरा आदि द्वारा पहले तारबाड़ की गई और अब वहां टीन शेड लगाकर पक्का अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति विचार कर चुकी हो और संबंधित अध्ययन सामग्री के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की गई हो, तब केवल व्यक्तिगत अभ्यर्थियों की अलग राय के आधार पर उत्तर कुंजी में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्णा पालीवाल व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया हैं।

कृष्णा पालीवाल, गोसाई राम और

- **चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली तीन याचिकाएं खारिज**

रमेश कुमार ने आरपीएससी की ओर से 25 अक्टूबर 2024 को जारी विज्ञापन के तहत स्कूल व्याख्याता पद की चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। संबंधित याचिकाएं अंग्रेजी, भूगोल, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत निर्धारित किए गए और यदि उनका सही मूल्यांकन किया जाता अथवा विवादित प्रश्न हटाए जाते तो उनके अंक बढ़ सकते थे और उनका चयन हो सकता था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार लिखित परीक्षा के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंतिम चयन सूची जारी होने पर उनके नाम न तो मुख्य चयन सूची में आए और न ही आरक्षित सूची में। इसके बाद उन्होंने अंतिम उत्तर कुंजी में कथित त्रुटियों को चुनौती दी।

आरपीएससी की ओर से इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा गया कि परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्तियां मांगी गई थीं। अभ्यर्थियों की ओर से प्राप्त आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया और समिति ने संबंधित सामग्री एवं उपलब्ध स्त्रोतों के आधार पर उनका परीक्षण करने के बाद उत्तरों को सही मानते हुए अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की। हाईकोर्ट ने कहा कि आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को मॉडल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का पूरा अवसर दिया था। प्राप्त आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया और समिति ने संबंधित प्रकाशित सामग्री के आधार पर उनका परीक्षण कर उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में अंतिम उत्तर कुंजी को केवल अलग-अलग अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिस्पर्धी राय के आधार पर न्यायिक जांच के लिए नहीं खोला जा सकता। यदि परीक्षा का परिणाम किसी अभ्यर्थी के पक्ष में नहीं रहा है, तो मात्र इसी आधार पर मूल्यांकन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग नहीं की जा सकती। इन सभी तथ्यों और कानूनी स्थिति पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि अंतिम उत्तर कुंजी अथवा चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अवैधता, मनमानी या विकृति सामने नहीं आई है।

भरतपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत का आरोप

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में

- **परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा और तोड़फोड़ कर दी**



सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और परिजनों से समझाइश की।

तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और परिजनों से समझाइश की। मृतका की पहचान रेनू पत्नी सोमवीर, निवासी बरौली चौथ, जिला डीग के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक रेनू को पेट दर्द की शिकायत के चलते 6 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके बाद 7 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे इलाज के दौरान रेनू की मौत हो गई।

सीओ सिटी आशिमा वासवानी ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त जाप्ता बुलाया गया और स्थिति को संभाला। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों से समझाइश की। समझाइश के बाद परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराये अपने गावं ले गये।

थाना कोतवाल के प्रभारी तेजपाल ने बताया कि निजी अस्पताल में रेनू नाम की महिला की मौत की सूचना मिली थी। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों से समझाइश की। समझाइश के बाद परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराये अपने गावं ले गये।

हर घर ज्योत अभियान का शुभारंभ 8 से

पोकरण, (निसं)। रामदेवरा बाबा रामदेवजी के देशभर में फैले भक्तों को उनके जीवन, विचारों और आदर्शों से जोड़ने के उद्देश्य से चलाया जा रहा 'हर घर ज्योत अभियान' वर्ष 2026 के प्रथम चरण में 8 अक्टूबर से गुजरात में शुरू होगा। अभियान का शुभारंभ गुजरात के हिम्मतनगर क्षेत्र से किया जाएगा। इस अवसर पर रामदेवरा से बाबा रामदेवजी के वंशज आनंद सिंह तंवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अभियान का प्रथम चरण हिम्मतनगर के साथ भिलोडा, मोडासा, महीसागर और बायड क्षेत्रों में करीब एक सप्ताह तक चलेगा। यह अभियान बाबा रामदेव प्रचार परिषद के गुजरात प्रदेश संयोजक मनु दास महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। अभियान के दौरान गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बाबा रामदेवजी के मंदिरों, आश्रमों तथा भक्तों के घरों में बाबा रामदेवजी की ज्योत प्रज्वलित की जाएगी।

रुपये दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्त में

भरतपुर, (निसं)। बीएसडीबी बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में निवेश पर पांच साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने के मामले में भरतपुर पुलिस ने आठ साल से फरार पांच हजार रुपये के इनामी स्थायी वारंटी ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी बयाना थाने में दर्ज ठगी के चार मामलों में वांछित था। इसके अलावा पुलिस ने चेक बाउंस के मामले में एक अन्य वारंटी को भी गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, 13 मार्च 2018 को शेरगढ़ निवासी रामलाल गुर्जर ने इस्तगासे के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 दिसंबर 2014 को भारतीय सनसाइन डेवलपर बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी उसके घर आए थे। उन्होंने बताया कि कंपनी का कार्यालय बयाना की गणेशी मार्केट में है और कंपनी पांच साल में

- **बीएसडीबी बिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में निवेश पर पांच साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया था, आठ साल से फरार था आरोपी**

निवेश की गई रकम दोगुनी करके देती है। उनके झांसे में आकर परिवादी ने 19 दिसंबर 2014 को 11,500 रुपये वार्षिक की एक पॉलिसी, 16 जुलाई 2015 को दो लाख रुपये की पॉलिसी, 29 सितंबर 2016 को पांच हजार रुपये मासिक की एक साल की पॉलिसी तथा सात लाख रुपये की एक अन्य पॉलिसी करवाई। बाद में कंपनी का कार्यालय बंद हो गया और कर्मचारी वहां से चले गए।

शिकायत के अनुसार, कंपनी के निदेशकों और संचालकों ने दोगुनी रकम देने का झांसा देकर कथित तौर पर फर्जी बांड, मुहर, चेक, रसीद और अन्य दस्तावेज तैयार किए तथा निवेशकों के साथ ठगी की।

पुलिस अनुसंधान में रामअवतार सिंदरिया, देवकरण, पैमाराम, कुलदीप सिंह और ओमप्रकाश के खिलाफ अपराध प्रमाणित होना बताया गया। आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय से स्थायी वारंट जारी हुए थे। ओमप्रकाश पर भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार, गत छह अक्टूबर को जिला विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए ओमप्रकाश पुत्र भोमाराम गुर्जर निवासी केरिया खेड़ा, थाना आसींद, जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया। उससे मामले में पूछताछ और अनुसंधान किया जा रहा है।